न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैया लाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 112/2018

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगतार सिंह पुत्र करोड़ा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र करोड़ा सिंह निवासी चक 28 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2018

उपस्थितिः—

श्री तेजा सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री सतीश गोसाई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 03.10.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश कर चक 28 जी जी के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 से 13 में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 33 के किला

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नम्बर 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये। दिनांक 30.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी के पास 6 बीघा भूमि है जिसमें किला नम्बर 20 व 21 में पहले से ही खाला स्वीकृत है। अप्रार्थी छोटा काश्तकार है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 29.06.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 20 व 21 में डेढ़-डेढ़ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा के रूप मे बराबर भूमि दिलाने के आदेश दिये गये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलाये जाने का प्रावधान नहीं है। किला नम्बर 20, 21 के साथ सरकारी आड़ है अपीलांट छोटे काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 11, 20, 21 में से रेस्पोडेन्ट जाकर किला नम्बर 6 मे अपने खेत में प्रवेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने डेढ़-डेढ़ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में भूमि दिलवाये जाने के आदेश दिये है जिससे अपीलांट को हुए नुकसान की भरपाई हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फर्द मौका पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार किया गया है .रा. का. अ. 1955 की धारा 251 ए के तहत किसी खातेदार की भूमि से नये रास्ते की मांग होने की स्थिति में वैकल्पिक रास्ते की अनुपस्थिति एवं प्रस्तावित रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता साबित होना आवश्यक है । अपीलांट के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मु.न. 5 के कि.न. 11, 20, 21 से होकर रेस्पों. के कि.न. 6 में उपलब्ध है, इस बिन्दु पर जांच आवश्यक है । साथ ही अपीलांट नं.2 मु.न. 33 के ही कि.न. 15, 16, 25 में से एक एक बिस्वा रकबा के रास्ता की सहमति लिखकर दी है । इस बिन्दु पर विद्वान अधी.न्यायालय के स्तर पर विधिवत जांच व अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है जबकि न्यायहित में यह भी अपेक्षित था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में दोनों पक्षों की सहमति के बिना मुआवजे के रूप में भूमि दिलवाये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखे बिना ही सरसरी तौर पर अपीलधीन आदेश पारित किया है। इस निर्णय में अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय के आधारों का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है । इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण कर उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारान सहित सभी हितबद्ध पक्षों को सुनकर विधि अनुसार विस्तृत विवेचन कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर